



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-के.एल.-अ.-14052020-219372
CG-KL-E-14052020-219372

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1310] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 14, 2020/वैशाख 24, 1942
No. 1310] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 14, 2020/VAISAKHA 24, 1942

सीमा शुल्क प्रधान आयुक्त का कार्यालय
अधिसूचना

विशाखापट्टनम, 17 अप्रैल, 2020

सं. 01/2020 (सीमा शुल्क)(एन टी)(विशाखापट्टनम)

विषय : विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट, नालको टैंक के समीप स्थित वेस्ट क्वे -6 बर्थ की अधिसूचना निरस्त करने के संदर्भ में।

का.आ.1461(अ).—जबकि विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट, नालको टैंक के समीप स्थित वेस्ट क्वे -6 बर्थ को सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 8 उपधारा (अ) के अंतर्गत इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या 02/2015 (सीमा शुल्क) (एन टी)(विशाखापट्टनम), दिनांक 13.07.2015 के तहत आयात एवं निर्यात किए जाने वाले वस्तुओं को भरने एवं खाली करने हेतु उचित स्थान एवं 'सीमा शुल्क क्षेत्र' के रूप में मान्यता प्रदान की गयी थी एवं मेसर्स वेस्ट क्वे मल्टीपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 45(1) के अंतर्गत प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क गृह, विशाखापट्टनम के आदेश दिनांक 13.07.2015 के माध्यम से उक्त स्थान का अभिरक्षक नियुक्त किया गया था।

अब, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 8(अ) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डॉ. डी. के. श्रीनिवास, सीमा शुल्क प्रधान आयुक्त, विशाखापट्टनम, सीमा शुल्क क्षेत्र में कार्गो के प्रबंधन विनियम 2009 के प्रावधानों के उलंघन पर मेसर्स वेस्ट क्वे मल्टीपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के अनुज्ञा पत्र के निरस्तीकरण

संबंधी मूल आदेश संख्या VIZ-CUSTM-000-COM-07/19-20 दिनांक 23.03.2020 के अनुसरण में वेस्ट क्वे 6 बर्थ, विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट के सीमा शुल्क क्षेत्र की अधिसूचना को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

[फा. सं. S10/13/2014-Prev.]

डॉ. डी. के. श्रीनिवास, सीमा शुल्क प्रधान आयुक्त

OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER OF CUSTOMS
NOTIFICATION

Visakhapatnam, the 17th April, 2020

No. 01/2020 (CUSTOMS)(NT)(VSP)

Sub: De-notifying West Quay 6 Berth, Besides Nalco Tanks, Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam – reg.

S.O. 1461(E).—Whereas West Quay 6 Berth, Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam was approved in exercise of the powers conferred under Sub-Section (a) of Section 8 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) as a proper place for loading and unloading of goods and as “Customs Area” vide this office Notification No.02/2015 – (CUSTOMS) (NT) (VSP) dated 13.07.2015 and M/s. West Quay Multiport Private Limited was appointed as Custodian Under Section 45(1) of the Customs Act, 1962 for the said place vide Order of even number dated 13.07.2015 by the Principal Commissioner of Customs, Custom House, Visakhapatnam.

Now, in exercise of powers conferred under Sub-Section (a) of Section 8 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), I, Dr. D.K. Srinivas, Principal Commissioner of Customs, Visakhapatnam, upon issue of Order-in-Original No. VIZ-CUSTM-000-COM-07/19-20 dated 23.03.2020 towards revocation of license issued to M/s. West Quay Multiport Private Limited for violations made by them under the Handling of Cargo in Customs areas Regulations, 2009, hereby de-notify the Customs Area of West Quay 6 Berth at Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam with immediate effect.

[F. No. S10/13/2014 – Prev.]

Dr. D.K. SRINIVAS, Principal Commissioner Of Customs